संख्या- 96/370/84-1-14-22बामा(बजट)/2013

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 18 जून, 2014

विषय- राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-643/निविमावि-लेखा-7(25)मॉग/2014-15, दिनॉक 21 अप्रैल, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु श्री राज्यपाल महोदय रू0 4,74,000/- (चार लाख चौहत्तर हजार रूपये) मात्र को व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियम-03-अधिष्ठान व्यय-01-वेतन से पुनर्विनियोग कर लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियम-04-राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन के अन्तर्गत-02-मजदूरी में रू0 4,00,000/-, लेखाशीर्ष3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियम-04-राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन-13-टेलीफोन पर व्यय में रू0 74,000/- कुल रू, 4,74,000/- (चार लाख चौहत्तर हजार रूपये) मात्र संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का अन्य मदों में व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-7/847/दस-2014, दिनॉक 18 जून, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-96/370(1)/84-1-14 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार ((लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार ((लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
7- खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन

(संदर्भ:- बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे अनुदेशों को भली- भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-21 -खाद्य एवं रसद विभाग | वित्तीय वर्ष 2014-15 | (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान (विनियोग) (2-5)
1	2	3	4	5	6
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय-01-वेतन	43800	32600	474	474	32126
योग-	43800	32600	474	474	32126

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखाशीर्ष (15 डिजिट में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन-02-मजदूरी	-	1200	400	400	400
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन-13-टेलीफोन पर व्यय	-	222	74	74	74
योग-	-	1422	474	474	474

(1) स्तम्भ-3 में बचतों का कारण संबंधित मदों में अब तक अपेक्षित बिल प्राप्त न होना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित मद में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि राज्य उपभोक्ता हैल्प लाइन की स्थापना/संचालन में व्यय हेतु अपेक्षित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

संख्या- आर0ई0 14/ई-7-847/दस-2014 दिनॉक 18 जून, 2014

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-96/370(2)/84-1-14-22बामा(बजट)/2013 दिनॉक 18 जून, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in